संख्या-77/2018/1815जेएल/22-3-18-200(1)/2018टी0सी0

प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधीक्षक,
आदर्श कारागार,
लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 04 सितम्बर, 2018***

विषय- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध बंदियों को स्वीकृत 15 दिन के गृह अवकाश की अवधि में 15 दिन की वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-69/2018/1576जेएल/22-3-18-200(1)/2018टी0सी0, दिनांक 14-08-2018 के क्रम में निम्नलिखित 10 बंदियों द्वारा किये गये अनुरोध पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उनको पूर्व स्वीकृत 15 दिन के गृह अवकाश में अग्रेतर 15 दिन की वृद्धि एतदद्वारा स्वीकृत की जाती है :-

क्र0	बंदी का नाम व पिता का नाम	निवासी जनपद	बंदी संख्या
1	हरिवंश यादव उर्फ गोबरी पुत्र श्री ढोढ़ई	महराजगंज	16006
2	संजय पटेल पुत्र श्री परमहंस	महराजगंज	16007
3	सलीम पुत्र श्री गुरबीन	गोरखपुर	16074
4	होरीलाल पुत्र श्री देव सिंह	फर्रूखाबाद	16051
5	सुखवीर सिंह पुत्र श्री सुर्यपाल सिंह	उन्नाव	14959
6	सन्तराम पुत्र श्री छिद्दी	जालौन	14981
7	राजा भैया पुत्र श्री रामसरन	जालौन	15095
8	अरूण सिंह उर्फ राजे पुत्र श्री बेताल सिंह	कानपुर नगर	14956

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9	बउवा उर्फ राजेश पाण्डेय पुत्र श्री जगदीश पाण्डेय	कानपुर नगर	15061
10	अजीत सिंह उर्फ गुड्डन पुत्र श्री बेताल सिंह	कानपुर नगर	14957

भवदीय,

हरि नारायण गिरि
अनु सचिव।

संख्या-77/2018/1815जेएल(1)/22-3-18-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0।

2- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।

3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

हरि नारायण गिरि
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।